न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र/07/2022

आसम खॉन पुत्र नूरदीन जाति मेव निवासी निचला मेव मौहल्ला, गुलपाडा तहसील सीकरी जिला भरतपुर (राज0) जरिये मुखत्यार आम तैयब पुत्र छोटेलाल निवासी खेडला तहसील नूँह जिला नूँह हरियाणा ।

......प्रार्थी

बनाम

राज0 सरकार जरिये पैरोकार, भरतपुर।

......अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी बावत वाहन बोलेरो पिकअप रजि0 नं0 RJ32 GC 4586 वमुकदमे एफ.आई.आर. नम्बर 377/2021 अन्तर्गत धारा 5,8 एवं 6,8 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन या निर्यात का विनियमन 1995) थाना जुरहरा, भरतपुर।

उपस्थित :–

1. श्री मुकीम खॉन, अभिभाषक प्रार्थी
2. राजकीय पैरोकार

निर्णय **दिनांक 08.03.2022**

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी वाहन इस आशय का पेश किया गया है कि प्रार्थी का वाहन बोलेरो पिकअप RJ32 GC 4586 जरिये मुख्त्यारनामा मालिक है। पुलिस थाना जुरहरा द्वारा उक्त वाहन को धारा 5/8 आर.बी.एक्ट गोवंश में जब्त किया गया है और जब्त वाहन थाना पर में खुले में खडा हुआ है, जिसके खराब होने की पूर्ण संभावना हैं। पुलिस थाना को उक्त वाहन की आवश्यकता नहीं है, प्रार्थी को अपने व्यवसायिक कार्यो हेतु वाहन की आवश्यकता हैं। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाहन बोलेरो पिकअप RJ32 GC 4586 को सुपुर्दगी में दिये जाने प्रार्थना की है।

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। थानाधिकारी, पुलिस थाना जुरहरा से रिपोर्ट तलब की गई। थानाधिकारी, पुलिस थाना जुरहरा से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 14.02.2022 शामिल पत्रावली की गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में दर्ज कथनों को दोहराते हुये कथन किया है कि जब्तशुदा वाहन बोलेरो पिकअप RJ32 GC 4586 जरिये मुख्त्यारनामा आम मालिक है तथा सुपुर्दगी में लेने का हकदार है। प्रार्थी के उक्त वाहन को पुलिस थाना जुरहरा द्वारा गोवंश अधिनियम में जब्त कर थाने पर खुले में खडा हुआ है जिसके खराब होने की आंशका है। पुलिस थाना को उक्त वाहन की कोई आवश्यकता नही है, प्रार्थी को वाहन को अपने व्यवसायिक कार्यो के लिए आवश्यकता है। वाहन सुपुर्दगी के सबंध में न्यायालय द्वारा जो भी आदेश दिया जावेगा उसकी पालना की जावेगी। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा वाहन को सुपुर्दगी पर दिये जाने का निवेदन किया है।

अभियोजन अधिकारी की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का खण्डन करते हुये तर्क दिया है कि प्रार्थी स्वंय ही उक्त वाहन में मौजूद था जिसमें वाहन का उपयोग गौवंश का अवैध परिवहन करने के लिए किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुख्तयारनामा आम रजिस्टर्ड नही है तथा वाहन में 06 गोवंश थे जिनका वाहन स्वामी के पास परिमिट नही था। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रवन्ना की प्रति प्रमाणित व सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नही की गई है जो कि जांच का विषय है। इस प्रकार उक्त वाहन का उपयोग गोवंश की तस्करी एवं अनैतिक कृत्य तथा अवैध परिवहन के लिए किया गया है। अभियोजन अधिकारी द्वारा सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक प्रार्थी के कथनों पर गौर किया। थानाधिकारी पुलिस थाना जुरहरा की रिपोर्ट का अध्ययन किया गया। थानाधिकारी पुलिस थाना जुरहरा ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि वाहन बोलेरो पिकअप RJ32 GC 4586 में कुल 6 गोवंश क्रमशः तीन गाय व दो बछडे व एक बछडी भरी हुई थी, जिनको गौकशी के लिए ले जाना पाया गया है तथा वाहन का गोवंश परिवहन करने का सक्षम प्राधिकारी का परमिट या रवन्ना नही था एवं वाहन मालिक से अनुसंधान किया जाना शेष है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात में रवन्ना रसीद विशाल मवेशी पैठ–स्थान दोस्त नगर त0व ब्लांक हाथरस उ0प्र0 की प्रति पेश की है जो किसी सक्षम अधिकारी या अधिकृत व्यक्ति द्वारा जारी होना प्रतीत नही होता है। इससे यह तथ्य साबित होता है कि उक्त वाहन अवैध परिवहन व गौवंश की तस्करी में उपयोग में लिया गया है। प्रार्थी द्वारा अपनी सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र के समर्थन में कोई तथ्य या दस्तावेज प्रस्तुत नही किये जिससे उसके तथ्य प्रमाणित हो

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

सके साथ ही प्रार्थी द्वारा कोई साक्ष्य या शपथ पत्र पेश नही किया है जिसमें इस प्रकार के कृत्य की पुनरावृति न हो। राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 के प्रावधानों अनुसार कार्यवाही विचाराधीन है। इससे प्रार्थी किसी भी प्रकार की रिलीफ पाने का हकदार नही है। ऐसी स्थिति में जप्त गोवंश में संलिप्त वाहन बोलेरो पिकअप RJ32 GC 4586 को सुपुर्दगी में नहीं दिया जा सकता है। प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी काबिल खारिज के रहता है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी बाबत् वाहन बोलेरो पिकअप RJ32 GC 4586 खारिज किया जाता हैं। निर्णय की प्रति थाना अधिकारी जुरहरा (भरतपुर) को आवश्यक एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 08.03.2022 को सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर
भरतपुर